न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2018 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती उषा आंचलिया पत्नी श्री जसवंतसिंह आंचलिया, जाति जैन, निवासी सहेली मार्ग, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. हिम्मतसिंह पिता स्वर्गीय माधोसिंह जी राव, निवासी मकान नंबर 3/693, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल के पीछे, सहेली नगर 23, जनक भवन ठिकाना बेदलाराव, उदयपुर (राज.)
2. तारकेश्वरी पिता स्वर्गीय माधोसिंह जी राव, निवासी मकान नंबर 3/693, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल के पीछे, सहेली नगर 23, जनक भवन ठिकाना बेदलाराव, उदयपुर (राज.)
3. सविता कुमारी पिता स्वर्गीय माधोसिंह जी राव, निवासी मकान नंबर 3/693, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल के पीछे, सहेली नगर 23, जनक भवन ठिकाना बेदलाराव, उदयपुर (राज.)
4. धर्मेन्द्र कुमारी पत्नी स्वर्गीय जनकसिंह जी राव के बजाय दीपक कुंवर पिता स्वर्गीय जनकसिंह जी राव, निवासी मकान नंबर 3/693, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल के पीछे, सहेली नगर 23, जनक भवन ठिकाना बेदलाराव, उदयपुर (राज.)
5. दीपकसिंह पिता स्वर्गीय जनकसिंह जी राव, निवासी मकान नंबर 3/693, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल के पीछे, सहेली नगर 23, जनक भवन ठिकाना बेदलाराव, उदयपुर (राज.)
6. विजयसिंह राव पिता स्वर्गीय रावमनोहरसिंह जी, निवासी गोविन्द भवन, चेटक मार्ग, उदयपुर (राज.)
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. नगर विकास प्रन्यास, जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा—223 राजस्थान
का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 27.12.2017, प्र.सं. 26/2013

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक न.वि.प्र.
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

20—05—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 63 (4), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जिसके खण्डन का जवाब प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावे का मुख्य आधार विक्रय ईकरार एवं प्रतिकूल कब्जा है, जबकि विधिक प्रावधानानुसार ईकरार व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी कानून में खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद बार्ड बाई लॉ होन से इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

वादी द्वारा उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद बार्ड बाई जॉ नहीं है। वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है। अतः आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27—12—2017 से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन

स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 नगर विकास प्रन्यास की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि इस प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अपीलान्ट का वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर है। इस मामले में केवल दावे को ही देखा जाना चाहिए, जबकि दावे में टाईटल के साथ–साथ प्रतिकूल कब्जे का भी आधार लिया है तथा सहायता रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर चाही गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने मेरिट की बातों को नजर अंदाज करते हुए केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ही दावा मानकर खारिज कर दिया, जो गलत है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर कथित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा पत्राचली पुनः मेरिट पर निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 में विवादित आराजी नंबर 2019 व 2020 किता 2 रकबा 2.6400 हैक्टर भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होकर किस्म मगरी द्वितीय दर्ज है तथा कैफियत में नामान्तरकरण संख्या 1275 दिनांक 09–07–2010 से नगर विकास

प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। वादी/अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर सन् 1974 से अपना निरन्तर कब्जा बताते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है, जबकि विवादित भूमि के संबंध में वर्ष 1973 में सीलिंग की कार्यवाही की जाकर विधिक प्रकिया के नाम राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम दर्ज हुई है एवं वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज है तथा काश्तकारी कानून में नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपीलान्ट/वादी के वाद को एडवर्स पजेशन के आधार पर मेन्टेबल नहीं माना है एवं इसो आधार पर प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 27–12–2017 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

श्रीमती उषा आंचलिया पत्नी जसवंतसिंह बनाम हिम्मतसिंह पिता स्व. माधोसिंह राव
आंचलिया, जाति जैन, नि0 सहेली मार्ग, नि0 म. नं.3/693 सेन्ट्रल पब्लिक
उदयपुर स्कूल के पीछे,
सहेलीनगर–23,
जनकभवन ठिकाना बेदलाराव
उदयपुर

अपील नं॰....18/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
............गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.............27................माह..............12......
......2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........20....माह........05.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी......श्री संजय बोहरा ......मिनजानिब अपीलान्ट व.......श्री नरपतसिंह चुण्डावत

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......).........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का........................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........20......माह.......05...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।